अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सन्तोख सिंह आदि बनाम बलजीत सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए आरटीए नम्बर 01 सन 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/05

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2024	अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पर मजीद बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 के कोने से 2 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 23, 62/32 की कुल 4.808 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। संयुक्त खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहकाश्तकार का कब्जा काश्त माना जाता है। खाता संयुक्त होने के कारण प्रार्थी का कौनसा किलाजात है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रार्थी अपनी भूमि का अलग से खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम संख्या 18 से 21 के तहत रास्ता ले सकते है। यदि प्रार्थी को खाता विभाजन होने पर भी रास्ता नहीं मिलता है तो वह पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	